

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3/44 / 2024

दिनांक : 23 .09.2024


श्री गणेश कुमार (RJ00241), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-02, झालावाड़ को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 09.07.2024 से 20.07.2024 तक 12 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 21.07.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।
2. दिनांक 05.08.2024 से 11.08.2024 तक 07 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 04.08.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।

श्री कुमार की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-01, झालावाड़ ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-02, झालावाड़ के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/55/1996/7518

दिनांक 23 .09.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-02, झालावाड़ को उनके पत्रांक 117/130 दिनांक 22.07.2024/20.08.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री गणेश कुमार (RJ00241), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-02, झालावाड़।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-01, झालावाड़।

  
21/9/2024  
सहायक रजिस्ट्रार